न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 1/26 सन् 2026
जीसीएमएस संख्या 2026/17

बउनवानी :–1. केदार पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
2. मुकुन पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
3. मनराज पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
4. रामलखन पुत्र बंशीलाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. जन्सी पुत्र छीतर लाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
2. देवनारायण पुत्र जन्सी लाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
3. देवराज पुत्र जन्सी लाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
4. प्रेमराज पुत्र जन्सी लाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे जैरकार मुकदमा संख्या 39/2025 उनवानी जन्सी लाल बनाम केदार वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री श्रीदास सिंह राजावत वकील प्रार्थी
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 01.4.2026

वकील प्रार्थी ने न्याायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा में विचाराधीन मुकदमा संख्या 39/2025 उनवानी जन्सीलाल बनाम केदार वगै. के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जिनकी संयुक्त परिवार की काश्त आराजीयात ग्राम बगीना में स्थित है, जिनका तकसमा का दावा न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा में विचाराधीन है, जिसमें अगली तारीख पेशी 25.02.2026 नियत हैं। न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के पीठासीन अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह अप्रार्थी जन्सी लाल से मिल गये हैं। उन्होंने प्रार्थीगण को न्यायालय में धमकाया तथा खुले न्यायालय में प्रार्थीगण से कहा कि दावा में वर्णित समस्त आराजीयात अप्रार्थी जन्सी लाल की है। इसलिए प्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी से विश्वास उठा गया है तथा प्रार्थीगण को उनसे न्याय मिलने की कोई आशा नहीं हैं। दावा में वर्णित आराजीयात संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गई है। इसलिए आराजीयात में पाँचों भाईयों रामकरण,लक्ष्मण,चौथमल,जन्सीलाल व बंशीलाल बराबर हिस्सा हैं। अप्रार्थी जन्सी लाल ने न्यायालय उप जिला कलेक्टर, चौथ का बरवाड़ा में एक अन्य दावा बाबत् बेदखली प्रार्थीगण पेश कर रखा है जिसमें भी अगली तारीख पेशी दिनांक 25.02.26 नियत है। इस दावा के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 11.11.25 को पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण को बिना सुने आराजीयात की प्रार्थीगण की फसल सरसों को दे दिया जिस पर तहसीलदार चौथ को नष्ट करने का आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने दिनांक 20.01.26 को टीम गठित कर दिनांक 21.01.26 को प्रार्थीगण की खड़ी फसल नष्ट करने का आदेश दे दिया इसे रोकने के लिए दिनांक

.....(1).....

(कानी राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026 उनवानी जन्सी लाल बनाम केदार वगै)

21.01.26 को प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत किया परन्तु उन्होंने प्रार्थीगण को धमकाते हुए गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। जिससे प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी जन्सीलाल से मिले हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा उनवानी जन्सी लाल बनाम केदार वगै० न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा से न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को स्थानान्तरित करने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व एक दावा उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे पेश किया है जो 11.8.2025 को दर्ज रजिस्टर हुआ है एवं प्रकरण 12.1.2026 तक अप्रार्थी संख्या 5 की तलवी हेतु जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त दावा अप्रार्थीगण के पक्ष मे कैसे निर्णित हो सकता है क्योकि प्रकरण वर्तमान मे तलवी स्तर पर ही जैरकार है। अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई सांठ गांठ नही है। केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार उक्त दावा के निर्णय में देरी करने की गरज से निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा भी अपनी टिप्पणी मे अंकित किया कि जन्सी लाल पुत्र छीतरलाल गुर्जर निवासी बगीना द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे मु0न0 39/2025 उनवानी जन्सी लाल बनाम केदार वगै. अन्तर्गत धारा 53,188 पेश कर रखा है जिसमे आगामी तारीख पेशी 8.4.2026 वास्ते साक्ष्यवादी नियत है। परिवादी जन्सीलाल पुत्र छीतर ने तथ्यो को छिपाते हुए एक प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के कार्यालय मे पेश किया था जिसपर प्रशासनिक स्तर से तहसीलदार चौथ का बरवाडा को नियमानुसार बेदखली के आदेश दिये गये थे। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका इत्यादि के आधार पर नही होती है किन्तु उपजिला कलेक्टर कार्यालय चौथ का बरवाडा द्वारा परिवादी जन्सीलाल के प्रार्थना पत्र पर प्रशासनिक स्तर से तहसीलदार चौथ का बरवाडा को नियमानुसार बेदखली हेतु लिखे गये पत्र से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी का संदेह करना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की संतुष्टि के लिए उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे विचाराधीन वाद संख्या 39/2025 उनवानी जन्सीलाल बनाम केदार वगै.को सुनवायी हेतु उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है। पक्षकार दिनांक 12.5.2026 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर में उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner